अपीलीय सिविल

न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया के समक्ष

मेसर्स राजधानी एंटरप्राइजेज (प्राइवेट) लिमिटेड-अपीलकर्ता।

बनाम

हरियाणा वित्तीय निगम और अन्य,-प्रतिवादी।

First Appeal from Order No. 155 of 1968

12 सितम्बर 1969

*राज्य वित्तीय निगम अधिनियम (LXIII)*1951)—धारा 32—सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5)—आदेश 9 नियम 13 और आदेश 43 नियम 1—धारा 32 के तहत जिला न्यायाधीश की प्रक्रिया—सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रयोज्यता—बताया गया—एकपक्षीय आदेश पारित जिला न्यायाधीश द्वारा - इसे रद्द करने के लिए आवेदन - क्या आदेश 9, नियम 13 के तहत रखरखाव योग्य है - ऐसे आवेदन को खारिज करने का आदेश - इसके खिलाफ अपील - क्या यह केवल धारा 32 (9) के तहत है और आदेश 43, नियम 1 (डी) के तहत नहीं है।

अभिनिर्धारित किया गया कि वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 32 की उपधारा (6) के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि जिला न्यायाधीश को नागरिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को केवल दावे की जांच तक ही लागू करना है। वित्तीय निगम चिंतित है संहिता के अनुसार जांच पूरी होने पर, उस पर निर्णय का आदेश अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (7) के किसी भी खंड के तहत किया जाना है। कहने का तात्पर्य यह है कि, भले ही जिला न्यायाधीश द्वारा संहिता के प्रावधानों के अनुसार की गई जांच, गुण-दोष के आधार पर एक पक्षीय निर्णय में परिणत हो, फिर भी आदेश उपरोक्त उप-धारा (7) के तहत एक आदेश होगा। यह संहिता की धारा 2 में परिभाषित 'डिक्री' नहीं होगी, क्योंकि (i) यह किसी मुकदमे में दिया गया निर्णय नहीं है, बल्कि अधिनियम के तहत एक आवेदन पर शुरू की गई विशेष कार्यवाही में दिया गया निर्णय है; और (ii) यह एक न्यायनिर्णयन है जिसकी अपील अधिनियम की धारा 32(9) के तहत एक आदेश की अपील के रूप में होती है।

इसलिए, आदेश 9 के तहत कोई आवेदन नहीं। नियम 13, सिविल प्रक्रिया संहिता, सक्षम है, एक पक्षीय आदेश एक पक्षीय डिक्री नहीं है। इसी कारण से, एकपक्षीय आदेश को रद्द करने के आवेदन को खारिज करने वाला आदेश संहिता के आदेश 43, नियम 1 (डी) के तहत अपील योग्य नहीं था। अपील का अधिकार केवल प्रक्रिया का मामला नहीं है। यह एक मौलिक अधिकार है, जिसे किसी क़ानून या उसके तहत बनाए गए नियमों के स्पष्ट और स्पष्ट शब्दों द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है। यदि अधिकार किसी विशेष क़ानून का प्राणी है, तो इसका दायरा- केवल उस क़ानून के प्रावधानों के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए। यह अधिनियम जिला न्यायाधीश को विशेष क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 32(6) केवल एक सीमित उद्देश्य के लिए संहिता के प्रावधानों को लागू करने की अनुमति देती है, अर्थात वित्तीय निगम के दावों की जांच। जिलान्यायाधीश अपील के अधिकार सहित उस अधिकार क्षेत्र की सभी घटनाओं पर एक सामान्य सिविल न्यायालय के रूप में अधिनियम के तहत अपना निर्णय देना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार विचार करने पर, यह स्पष्ट है कि

पीड़ित पक्ष के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय एकपक्षीय के खिलाफ अधिनियम की धारा 32(9) के तहत अपील दायर करना है।¬आदेश की तारीख से 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर आदेश दें। (पैरा 6)

श्री एच.डी लूम्बा, जिला न्यायालय के आदेश से प्रथम अपील" X जज, गुड़गांव ने दिनांक 21 जून, 1968 को एक पक्षीय आदेश को रद्द करने के आवेदन को खारिज कर दिया।

अपीलकर्ता की ओर से वी.पी गांधी, अधिवक्ता।

के.एल कपूर, एक वकील, प्रतिवादियों की ओर से।

निर्णय

न्यायमूर्ति सरकारिया, —यह पहली अपील विद्वान जिला न्यायाधीश, गुड़गांव के दिनांक 21 जून, 1963 के आदेश के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा उन्होंने 2 मई, 1968 के एक पक्षीय आदेश को रद्द करने के लिए अपीलकर्ता द्वारा किए गए आवेदन को खारिज कर दिया था। इससे निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं:-

(2) प्रतिवादी (हरियाणा वित्तीय निगम) ने राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 31 के तहत मेसर्स राजधानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड से एक निश्चित राशि वसूलने का दावा करते हुए आवेदन किया था। प्रतिवादियों ने दावे का विरोध किया। पक्षों की गवाही पूरी हो गई और मामला 16 अप्रैल, 1968 को जिला न्यायाधीश के समक्ष अंतिम बहस के लिए तय किया गया। फैसले-देनदारों के वकील ने यह कहते हुए स्थगन का अनुरोध किया कि मामले में अगली तारीख तक समझौता कर लिया जाएगा। इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया और मामले को बहस के लिए 27 अप्रैल, 1968 को तय किया गया। इस स्थगित तिथि पर, निर्णय-देनदार या उनके वकील उपस्थित होने में विफल रहे। जिला न्यायाधीश ने आवेदक के वकील की दलीलें सुनीं और आदेश की घोषणा के लिए मामले को 2 मई, 1968 तक के लिए स्थगित कर दिया। उस दिन उन्होंने याचिकाकर्ता के पक्ष में एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया। 1 जून, 1968 को, याचिकाकर्ता ('डिक्रीधारक') ने * आदेश का निष्पादन किया। उसी दिन, 'निर्णय-देनदारों' ने इस आधार पर एक पक्षीय आदेश को रद्द करने के लिए एक आवेदन दिया कि अपीलकर्ताओं और उनके वकील की गैर-उपस्थिति के लिए पर्याप्त कारण था। जिला न्यायाधीश ने उस आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि मामले का फैसला गुण-दोष के आधार पर किया गया था और फैसले-देनदारों की दलीलों को दोबारा सुनने का कोई फायदा नहीं था। इसलिए 'निर्णय-देनदारों' द्वारा यह अपील।¬

(3) प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री के.एल कपूर द्वारा प्रारंभिक आपत्ति की गई है कि यह अपील कालातीत है। मेरा ध्यान उपधारा (9) की ओर आकर्षित किया गया है। अधिनियम की धारा 32, जो धारा 32 की उप-धारा (5) या उप-धारा (7) के तहत दिए गए आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर करने के लिए 30 दिनों की सीमा निर्धारित करती है। श्रीमान कपूर बना, इस तरीके से देखा जाए तो, अपील 23 दिनों के लिए समय-बाधित है।

(4) जवाब में, अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री वी.पी गांधी ने कहा कि जिस आदेश के खिलाफ अपील की गई है वह अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (5) या उपधारा (7) के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन यह आदेश 9 के तहत दिया गया आदेश है। नियम 13, सिविल प्रक्रिया संहिता, और, इस प्रकार, अपील योग्य थी और ऐसी अपील के लिए निर्धारित सीमा की अवधि आदेश की तारीख से 90 दिन है। श्री गांधी कहते हैं, इस नजरिए से देखें तो अपील पूरी तरह से मेरे दायरे में थी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि आदेश 9, नियम 13, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एकपक्षीय आदेश को रद्द करने के लिए उनके द्वारा किए गए आवेदन की योग्यता के संबंध में दूसरे

पक्ष द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई थी। इसलिए, वकील का कहना है कि अब प्रतिवादी को यह कहने में बहुत देर हो चुकी है कि यह अपील अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (9) के तहत दायर की गई है और इस तरह, समय-बाधित है।¬

(5) अधिनियम की धारा 32 का भौतिक भाग इस प्रकार है: -

"32. धारा 31 के तहत आवेदनों के संबंध में जिला न्यायाधीश की प्रक्रिया.—(1) जब आवेदन धारा 31 की उपधारा (1) के खंड (ए) और (सी) में उल्लिखित राहत के लिए है, तो जिला न्यायाधीश एक पारित करेगा सुरक्षा, या औद्योगिक चिंता की संपत्ति का इतना हिस्सा संलग्न करने का अंतरिम आदेश, जिसे बेचने पर उसके अनुमान में वित्तीय निगम को औद्योगिक चिंता की बकाया देनदारी के बराबर मूल्य की लागत के साथ-साथ राशि का एहसास होगा। धारा 31 के तहत की गई कार्यवाही, किसी अंतरिम निषेधाज्ञा के साथ या उसके बिना, औद्योगिक चिंता को उसकी मशीनरी, संयंत्र या उपकरण को स्थानांतरित करने या हटाने से रोकती है।

(2)

(3) ...

(4) उसी समय जब वह उप-धारा (1) के तहत एक आदेश पारित करता है, जिला न्यायाधीश औद्योगिक चिंता को जारी करेगा

आदेश की प्रतियों, आवेदन और उसके द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य, यदि कोई हो, के साथ एक नोटिस, जिसमें नोटिस में निर्दिष्ट तिथि पर कारण बताने के लिए कहा जाए कि विज्ञापन कुर्की के अंतरिम आदेश को पूर्ण क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए या निषेधाज्ञा की पुष्टि की गई.¬

(5) यदि उप-धारा (2) और (4) के तहत नोटिस में निर्दिष्ट तिथि पर या उससे पहले कोई कारण नहीं दिखाया गया है, तो जिला न्यायाधीश तुरंत एक अंतरिम आदेश को पूर्ण बना देगा और संलग्न संपत्ति की बिक्री या प्रबंधन को स्थानांतरित करने का निर्देश देगा। वित्तीय निगम को औद्योगिक चिंता या निषेधाज्ञा की पुष्टि करें।

(6) यदि कारण दिखाया गया है, तो जिला न्यायाधीश सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम V) में निहित प्रावधानों के अनुसार वित्तीय निगम के दावे की जांच करने के लिए आगे बढ़ेंगे, जहां तक ऐसे प्रावधान लागू हो सकते हैं।

(7) उपधारा (6) के तहत जांच करने के बाद, जिला न्यायाधीश-

(a) कुर्की के आदेश की पुष्टि करें और कुर्क की गई संपत्ति की बिक्री का निर्देश दें;

(b) ...

(c) ...

(d) ...

(e) ...

(8) ...

(9) उप-धारा (5) या उप-धारा (7) के तहत किसी आदेश से व्यथित कोई भी पक्ष, 4 आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर, उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, और ऐसी अपील पर उच्च न्यायालय सुनवाई के बाद अपील कर सकता है। पक्षकार, जैसा उचित समझे, वैसा आदेश पारित करते हैं।

(10) ...

(पहचान -

(6) उप-धारा 0(6)1 के जैकस्टडी से यह स्पष्ट हो जाएगा कि जिला न्यायाधीश को केवल वित्तीय निगम के दावे की जांच के मामले में सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को लागू करना होगा। एक बार जब जांच सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार पूरी हो जाती है, तो उस पर निर्णय का आदेश अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (7) के किसी भी खंड के तहत पालन किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि, भले ही जिला न्यायाधीश द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार की गई जांच, गुण-दोष के आधार पर एक पक्षीय निर्णय में परिणत हो, फिर भी आदेश उपरोक्त उप-धारा (7) के तहत एक आदेश होगा।). यह संहिता की धारा 2 में परिभाषित 'डिक्री' नहीं होगी, क्योंकि (i) यह किसी मुकदमे में दिया गया निर्णय नहीं है, बल्कि अधिनियम के तहत एक आवेदन द्वारा शुरू की गई विशेष कार्यवाही में दिया गया निर्णय है; और (ii) यह एक न्यायनिर्णयन है जिसकी अपील अधिनियम की धारा 32(9) के तहत एक आदेश की अपील के रूप में होती है। इसलिए, आदेश 9, नियम 13, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत कोई भी आवेदन सक्षम नहीं था, एक पक्षीय आदेश एक पक्षीय डिक्री नहीं था। इसी कारण से, एक पक्षीय आदेश को रद्द करने के आवेदन को खारिज करने वाला आदेश संहिता के आदेश 43, नियम 1(डी) के तहत अपील योग्य नहीं था। एक अधिकार अपील केवल प्रक्रिया का मामला नहीं है। यह एक मौलिक अधिकार है, जिसे किसी क़ानून या उसके तहत बनाए गए नियमों के स्पष्ट और स्पष्ट शब्दों द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है। यदि अधिकार किसी विशेष क़ानून का प्राणी है, तो इसका दायरा केवल उस क़ानून के प्रावधानों के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए। यह अधिनियम जिला न्यायाधीश को विशेष क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 32(6) केवल एक सीमित उद्देश्य के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को लागू करने की अनुमति देती है, अर्थात वित्तीय निगम के दावे की जांच। जिला न्यायाधीश को अपील के अधिकार सहित उस क्षेत्राधिकार की सभी घटनाओं पर एक सामान्य सिविल न्यायालय के रूप में अधिनियम के तहत अपना निर्णय देने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार विचार करने पर, यह स्पष्ट है कि पीड़ित पक्ष के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय आदेश की तारीख से 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर एक पक्षीय आदेश के खिलाफ अधिनियम की धारा 32(9) के तहत अपील दायर करना था।

(7) हालाँकि, इस अपील को एकपक्षीय आदेश से धारा 32 की धारा (9) के तहत एक 5 अपील के रूप में माना जा सकता है जिसके तहत निगम के दावे का फैसला सुनाया गया था। वह आदेश जिला न्यायाधीश द्वारा 21 जून, 1968 को पारित किया गया था। आदेशों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए आवेदन 26 जुलाई, 1968 को किया गया था। प्रतियां तैयार हो गईं और 1 अगस्त, 1968 को वितरित की गईं। अपील इस न्यायालय में 13 तारीख को प्रस्तुत की गई थी। अगस्त, 1968. आदेशों

(8) की प्रतियां प्राप्त करने में लगने वाले समय को काटने के बाद, यह देखा जाएगा कि अपील कालातीत है
23 दिन तक. इस प्रकार, केवल इस प्रारंभिक आधार पर अपील खारिज किये जाने योग्य है।¬

(9) ओनिमेरिट्सी पर भी, भारत को इस अपील में कोई बल नहीं मिला। यानी निर्णय-देनदार के अनुरोध पर मामला 37 अप्रैल, 1968 को अंतिम बहस के लिए तय किया गया था। इसे पहली बार सुबह 11.00 बजे सुनवाई के लिए बुलाया गया था जब वित्तीय निगम के वकील मौजूद थे, लेकिन प्रतिवादी निर्णय-देनदार के वकील अनुपस्थित थे। इसके बाद इसे इस उम्मीद में दोपहर 2.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया कि प्रतिवादी या उसका वकील आएगा। दोपहर 2.30 बजे; साथ ही, प्रतिवादी और उसके वकील अनुपस्थित थे। इसके बाद, न्यायालय ने डिक्रीधारक के वकील की बात सुनी और आदेशों की घोषणा 2 मई, 1968 तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 13.05 बजे, निर्णय-देनदार के वकील की ओर से दिल्ली से एक साधारण टेलीग्राम भेजा गया कि वह बीमार है। यह टेलीग्राम जिला न्यायाधीश को अदालत के समय के बाद शाम 7.15 बजे प्राप्त हुआ। यह ध्यान देने योग्य बात है कि इसके बाद भी 'निर्णय देनदार' इस मामले पर सो गया। 1 जून, 1968 को ही, जब निगम ने आदेश का क्रियान्वयन किया, तब ऋणी ने एक पक्षीय कार्रवाई को रद्द करने के लिए आवेदन दायर किया।¬¬¬¬फ़ैसला। फैसले से पहले दावे की जांच के दौरान निर्णय देनदार के आचरण से भी पता चलता है कि मामले को लटकाने की हर कोशिश की गई। दावे-याचिका की सूचना 19 जून, 1967 को निर्णय-देनदार को दी गई थी। उन्होंने 26 अगस्त, 1967 को लिखित बयान दायर किया था। मामला 1 अक्टूबर, 1967 को निर्धारित किया गया था। प्रतिकृति 18 नवंबर, 1967 को दायर की गई थी। इसके बाद अपीलकर्ता के अनुरोध पर इसे 29 दिसंबर, 1967 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मुद्दे तय किए गए। इसके बाद मामले की सुनवाई 24 फरवरी 1968 तक के लिए साक्ष्य के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद अपीलकर्ता के साक्ष्य के लिए इसे 2 अप्रैल, 1968 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अपीलकर्ता उस दिन भी अनुपस्थित था।¬ *पूर्व प. आर्टे*कार्यवाही की गई, फिर मामले को बहस के लिए 16 अप्रैल, 1968 को तय किया गया। इस दिन, अपीलकर्ता के वकील उपस्थित हुए और इस आधार पर स्थगन का अनुरोध किया कि मामले में अगली तारीख तक समझौता कर लिया जाएगा। अनुरोध स्वीकार कर लिया गया और मामले को बहस के लिए 27 अप्रैल, 1968 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस तिथि को अपीलार्थी पुनः अनुपस्थित हो गया। उनके वकील भी नहीं आये। अपीलकर्ता को अपने वकील की बीमारी के बारे में अदालत को सूचित करने या निर्धारित तिथि पर किसी अन्य वकील की उपस्थिति के लिए व्यवस्था करने की जिम्मेदारी थी। इन परिस्थितियों में, अपीलकर्ता की ओर से इस विलंब, देरी और ढिलाई पर अतिरिक्त प्रीमियम न लगाना न्यायालय के लिए उचित था। दूसरे शब्दों में, एकपक्षीय निर्णय को रद्द करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं था।¬¬

(9) उपरोक्त कारणों से, मैं इस अपील को लागत सहित खारिज कर दूंगा। वकील का शुल्क: रु. 50.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

ममता,

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

रोहतक, हरियाणा।